

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 14/2 /02/2019

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
प्रतिलिपि :-

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न नस्ल (वार्षिक प्रति 2018)
के लिये प्रकृत करें।
पृ. 15/2/19

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2015

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

✓ कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेंटर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत।

संदर्भ :- अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।


सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)


(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
रायपुर, दिनांक / 02 / 2019

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /
प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य।


(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 140/बो.प्र./नि.स./2018/17568
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 27/10/2018

अपीलार्थी

श्री मोहन कोमरे प्रांतीय महासचिव
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/ज.जा.,
शासकीय सेवक विकास संघ, रायपुर
पी.-6, ग्रीन पैराडाइज,
विशाल नगर, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी

श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री मोहन कोमरे, तेलीबांधा, रायपुर द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2018 द्वारा मांगी गई जानकारी की अपूर्ण जानकारी दिये जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन दिनांक 09.10.18 को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का परिपत्र क्र. 426/2003/1/3/दि. 21.07.2003 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का परिपत्र क्र. 441/810/2003/1-3/दिनांक 28.07.2003 के परिपाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश शासन में जारी प्रमाण-पत्रों का पुनर्वैधीकरण बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपालन में विभाग में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति प्रदाय करने हेतु मांग की गई थी। प्रकरण में प्रमुख अभियंता कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी अपीलार्थी को दिया गया है। जिससे वे संतुष्ट नहीं है। अतः प्रकरण में सुनवाई हेतु उभय पक्षों को सुनवाई हेतु इस कार्यालय के आदेश क्र. 16940, रायपुर दिनांक 11.10.2018 द्वारा दिनांक 23.10.2018 को निर्धारित किया गया था किन्तु विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण में ड्यूटी लगने के कारण आगामी सुनवाई तिथि 25.10.18 को निर्धारित कर अपीलार्थी को सूचना दी गई थी। इसी तारतम्य में उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए।

3. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जानकारी दी है कि मुझे जनसूचना अधिकारी द्वारा 04.10.18 को मात्र 22 नग जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापित पत्रों की प्रति उपलब्ध करायी गई है। जिसमें मात्र (5) जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, जबकि 17 प्रमाण पत्रों का पुनर्वैधीकरण नहीं कराया गया है। जबकि उन्हें दि. 01.11.2000 से राज्य (राज्य स्थापना) की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पदस्थ सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता तक के अधिकारियों सहित कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा वर्ष 2003 में जारी परिपत्र के तारतम्य में पुनर्वैधीकरण युक्त प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की प्रति निशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।



जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दी है कि स्थापना कक्ष में जो जानकारी उपलब्ध थी, उन्हें अपीलार्थी को प्रदाय किया गया है। अन्य कोई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में अभी अपीलार्थी को दिये जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।

4. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय के स्थापना कक्ष से संबंधित है। स्थापना कक्ष में उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, उसे दिया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) की नोटशीट भी प्रस्तुत कर जानकारी नहीं होने को लिखित में जानकारी दी गई है। प्रकरण में यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी से कार्यालय में उपलब्ध जानकारी ही दिलवाया जा सकता है, अन्य कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में जानकारी संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रकरण की अन्य जानकारी जो सूचना अधिकार के परे है उन पर कार्यवाही कराने या विवादों को सुलझाने हेतु विभागाध्यक्ष अथवा शासन स्तर पर ही कार्यवाही संभव है। विवादों का निपटारा जनसूचना अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी प्रकरण को नस्तीबद्ध करें।

सहपत्र :- शून्य

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 140/बो.प्र./नि.स./2018 /17561

रायपुर, दिनांक 27/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री मोहन कोमरे प्रांतिय महासचिव छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/ज.जा., शासकीय सेवक विकास संघ, रायपुर पी.-6, ग्रीन पैराडाइज, विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 9644521347 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

नोट :- द्वितीय अपील-आयुक्त राज्य सूचना आयोग इन्द्रावती (प्रथम खण्ड) शास्त्री चौक, बंजारी बाबा के मजार के पास, रायपुर।

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर